कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 21.07.2015

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 21.07.2015 को एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक मेसर्स जयमाता वर्क्स एवं श्री उमराव सिंह बूलिया, मुम्बई (Joint venture) को कार्य के अनुबन्ध संख्या 154/2006–07 के द्वारा आंवटित कार्य " Construction of Madri main dam with link tunnel between main dam & main tunnel under Dewas II " में संवेदक द्वारा प्रस्तुत दावों के निपटारे हेतु अनुबंध के क्लाज 23 के प्रावधानों के अनुसार आमन्त्रित की गई थी :–

आयोजित बैठक में निम्न अधिकारियो ने भाग लिया :–

1. श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री सुमनेश लाल माथुर, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान जयपुर।
4. श्री अशोक बाबेल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर।

कमेटी के समक्ष प्रतिवादी की ओर से अधिषाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, उदयपुर उपस्थित हुये तथा क्लेमेन्ट की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, उदयपुर ने कमेटी को अवगत कराया कि उक्त कार्य की निविदा आमन्त्रित करते समय निविदा के पोस्ट क्वालिफिकेशन काईटेरिया में Joint venture firm को भी निविदा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। निविदा के Post Qualification criteria में Joint venture firm की शर्ते विस्तृत रूप से निविदा प्रपत्र Annexure A पर दर्शाया गई है । जयमाता वर्क्स–उमराव सिंह बूलिया, जोईन्ट वेंचर फर्म द्वारा अनुबंध सम्पादित करते समय दोनो पार्टनर के मध्य सम्पादित MoU (Memorandum of Understanding) प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रथम पक्षकार मैसर्स जयमाता वर्क्स को पार्टनर इन्चार्ज बनाया गया है तथा दोनो पक्षकारों का शेयर प्रतिशत 50% - 50% रखा गया है । Annexure A के बिन्दु संख्या 1.3 एवं 1.4 में " Partner in charge " की व्याख्या कर संविदा के प्रति जिम्मेदारी तय की गई है एवं बिन्दु संख्या 1.5 में Joint venture के दोनो पार्टनर की जिम्मेदारी की व्याख्या की गई है। उक्त प्रावधानो के अनुसार संविदा के क्लाज 23 के अन्तर्गत एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी को आवेदन Joint venture के Partner Encharge M/s Jai Matha works द्वारा किया जाना था। जबकि एम्पावर्ड स्टेण्डिंग कमेटी को आवेदन द्वितीय पार्टनर M/s Umrao Singh Boonliya द्वारा किया गया है । अतः आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त Joint venture Firm से कुल रू. 68258029.00 की वसूली की जानी शेष है, जिसे Annexure A के बिन्दु सख्यां 1.5 के अनुसार दोनो Partners से वसूल किया जाना है । बिन्दु सख्यां 1.5 निम्नानुसार है :--

" Both partner of joint venture shall be liable jointly and individually and severally for the execution of the contract in accordance with the contract terms and a statement to this effect shall be included in the authorization mentioned under 1-3 above, as well as in the bid and in the agreement" के अनुसार दोनो Joint venture partner M/s Jai Matha works & M/s Umrao Singh Boonliya विभागीय वसूली एवम् अन्य दायित्वो (Responsibility) के लिये jointly and individually and severally जिम्मेदार रहेगें ।

कमेटी के समक्ष M/s Umrao Singh Boonliya के प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रख कर बताया गया कि पूर्व मे वे भी विभाग से पत्राचार करते रहे है, तथा कार्य सम्पादन भी किया गया है व किये गये कार्य का भुगतान भी प्राप्त किया गया है। अतः वे आवेदन प्रस्तुत करने की योग्यता रखते है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त प्रतिनिधि Joint venture firm के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर विभाग से पत्राचार एवं अन्य औपचारिकंताऐं पूर्ण की गई है।

कमेटी द्वारा दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख का गहन परीक्षण एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की Joint venture हेतु किये गये MoU/ अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार M/s Umrao Singh Boonliya कमेटी के समक्ष क्लैम प्रस्तुत करने की पात्रता नही रखते है। अतः इनका आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। M/s Jai Matha works अनुबंध के क्लॉज 23 के अन्तर्गत क्लैम्स प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। विभाग Annexure A के बिन्दु सख्यां 1.5 के अनुसार दोनो Partners से बकाया राशि रू. 68258029.00 की वसूली कर सकता है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी द्वारा M/s Umrao Singh Boonliya द्वारा अनुबंध के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

(अशोक बाबेल) अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर	(सुमनेश लाल माथुर) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज, जयपुर	(आबिद हुसैन) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	(वीरेन्द्र सिंह) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग	(अजिताभ शर्मा) शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।